फाईनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

मूलचंद पुत्र नहन्या जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0।

वादी

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र देवीराम 2 पप्पू पुत्र देवीराम 3 पूरण पुत्र देवीराम 4 कैलाशी पुत्री देवीराम	समस्त जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0।

5 बाबूलाल पुत्र भौरया जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0
6 गौरन्ता देवी पत्नि मुकेश जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0
7 बनवारी पुत्र प्रभाती जाति बैरवा निवासी भण्डारी बेरुणी तह0 बालघाट जिला करौली राज
8 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
9 बी0 ओ बी शाखा मोरडा जरिए मैनेजर बी0 ओ बी शाखा मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1 वादीकी ओर सेः– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट

2 प्रतिवादीगण की ओरः– कोई उपस्थित नहीं

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 188 आर0 टी0 एक्ट0

मु0न0ः– 18/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व ग्राम मोरडा की डिक्री दी जाती है कि

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	मूलचन्द पुत्र नहन्या हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा	2308	0.07
		2328/1	0.12
		2304/1	0.27
		3113/1	0.17
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.63 है0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

2.	राधेश्याम पुत्र देवीराम हि0 1/4, पप्पू पुत्र देवीराम हि0 4/15, पूरण पुत्र देवीराम हि0 1/4, कैलाशी पुत्री देवीराम हि0 7/30 समस्त जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार	2304/2	0.26
		2328/2	0.12
		2699/1	0.01
		3113/2	0.21
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.60 है0
3.	गोरंता देवी पत्नि मुकेश हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार राहिन हिस्सा 29/30 बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा (2699/2 विला रहन)	2307	0.44
		2322/1	0.12
		2699/2	0.02
		3113/3	0.02
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.60 है0
4.	बाबूलाल पुत्र भोरया हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार	2317	0.47
		2322/2	0.11
		3113/4	0.03
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.61 है0
5.	बनवारी लाल पुत्र प्रभाती हि0 पूर्ण जाति बैरवा साकिन भण्डारी बैरूनी खातेदार	2699/3	0.08 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....................मुबलिंग............................बाबत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29/04/2026 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला–करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला करौली

मु.नं.:– 18 / 2025 तारीख रजू :– 07.04.2025

पीठासीन अधिकारी :– अमन चौधरी आर.ए.एस.

उनवान

मूलचंद पुत्र नहन्या जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0।

वादी

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र देवीराम
2 पप्पू पुत्र देवीराम
3 पूरण पुत्र देवीराम
4 कैलाशी पुत्री देवीराम
} समस्त जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0।
5 बाबूलाल पुत्र भौरया जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0
6 गौरन्ता देवी पत्नि मुकेश जाति बैरवा निवासी मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0
7 बनवारी पुत्र प्रभाती जाति बैरवा निवासी भण्डारी बेरुणी तह0 बालघाट जिला करौली राज
8 तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली राज0
9 बी0 ओ बी शाखा मोरडा जरिए मैनेजर बी0 ओ बी शाखा मोरडा तह0 बालघाट जिला करौली राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1 वादीकी ओर सेः– सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट
2 प्रतिवादीगण की ओरः– कोई उपस्थित नहीं

दावा बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 188 आर0 टी0 एक्ट0

<u>निर्णय</u> दिनांकः– 29/04/2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 270 संवत् 2076–2079 के खसरा नं0 2304 / 0.53, 2307 / 0.44, 2317 / 0.47, 2322 / 0.23, 2328 / 0.24, 3113 / 0.43, कुल किता 6 कुल रकवा 2.34 है0 ग्राम मोरडा तह0 बालघाट में स्थित है। जिसमें वादी बहिस्सा 1 / 4 का खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से का प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार है इसी प्रकार खाता संख्या 716 संवत् 2076–2079 के खसरा नं0 2308 / 0.07, 2699 / 0.11 कुल किता 2 कुल रकवा 0.18 है0 ग्राम मोरडा तह0 बालघाट में स्थित है। जिसमें वादी बहिस्सा 1 / 4 का खातेदार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

काश्तकार है शेष हिस्से का प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार खातेदार है। आराजीयात का बाहमी बंटवारा हो रहा है लेकिन आये दिन डोल मेढ, लगान सरकारी व रास्ते को लेकर विवाद बना रहता है तथा रिकार्डेड बंटवारा नही होने के कारण आपस में तनाव बना रहता है।

बांका दिनांक 27:03:2025 सुबह करीब 9 बजे का है कि वादी अपने हिस्से की आराजी में अगली फसल के लिये जोत लगवा रहा था कि प्रतिवादीगण आये तथा कहने लगे कि तुम इस जमीन को काश्त मत करो इस जमीन को हम बेंच रहे है इसलिये अब उक्त आराजी पर खरीद दारान का कब्जा करा रहे है। इस पर वादी द्वारा यह कहने पर कि हम अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज है तथा तुमने अपने कुछ हिस्से की आराजी को बिना सहखातेदारान की सहमति से बनवारी को बेचान कर दिया है। यह जमीन मेरे हिस्से मे आयी है इसलिए तुम इस आराजी पर कब्जा नही करा सकते हो। पहले तहसील में चलकर बटवारा करा लेते है तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे हम कही नहीं जायेगें ना ही बटवारा करायेगें तथा तुम्हारे कब्जे की आराजी से तुमको बेदखल करके कब्जा कराकर रहेगें। तुम्हारे कब्जे शुदा आराजी को काश्त करा कर रहेगें इस प्रकार प्रतिवादीगण बिना बटवारा कराये आराजी को बेचान कर दिया तथा वादी को अपने कब्जे कीआराजी से बेदखल कर दिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार द्वव्य में भी संभव नही हो सकेगी इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है आराजी से मेरा हिस्सा अलग कर बटवारा कर दिया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। किसी भी प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं होने से वादी के अनुतोष अनुसार साक्ष्य होने है। अतः तनकीयात की आवश्यकता नहीं होकर सीधे साक्ष्यवादी कराये गये। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजात पर प्रदर्श डलवाये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

तथा बटवारे का निवेदन किया मैने वादी के अधिवक्तो के कथन व प्रत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने योगय होने से दावा प्राथमिक डिक्री किया तहसीलदार बालघाट को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव हेतु दिनांक 28.11.2025 को आदेशित किया गया। तहसीलदार बालघाट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18–21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश किया जिस पर कोई आपत्ति पेश नहीं की गई।

तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। वकील वादी ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार बालघाट द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम मोरडा में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1.	मूलचन्द पुत्र नहन्या हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा	2308	0.07
		2328 / 1	0.12
		2304 / 1	0.27
		3113 / 1	0.17
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.63 है0
2.	राधेश्याम पुत्र देवीराम हि0 1 / 4, पप्पू पुत्र देवीराम हि0 4 / 15, पूरण पुत्र देवीराम हि0 1 / 4, कैलाशी पुत्री देवीराम हि0 7 / 30 समस्त जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार	2304 / 2	0.26
		2328 / 2	0.12
		2699 / 1	0.01
		3113 / 2	0.21
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.60 है0
3.	गोरंता देवी पत्नि मुकेश हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार राहिन हिस्सा 29 / 30 बैंक ऑफ बडौदा शाखा मोरडा (2699 / 2 विला रहन)	2307	0.44
		2322 / 1	0.12
		2699 / 2	0.02
		3113 / 3	0.02
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.60 है0
4.	बाबूलाल पुत्र भोरया हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0 ग्राम खातेदार	2317	0.47
		2322 / 2	0.11
		3113 / 4	0.03
		कुल किता 4	कुल रकवा 0.61 है0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, टोडाभीम, जिला-करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

5.	बनवारी लाल पुत्र प्रभाती हि0 पूर्ण जाति बैरवा साकिन भण्डारी बैरूनी खातेदार	2699/3	0.08 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिक्री व नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय का भाग रहेगा। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/04/2026 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अमन चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली